अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

**<u>जमानत आवेदन पत्र सं0–710 / 2026</u>**

नीतीश कुमार बनाम् बिहार सरकार

05.06.2026 काराधीन अभियुक्त नीतीश कुमार, जो मोहीउद्दीन नगर थाना कांड सं0–97 / 2024, अन्तर्गत धारा 363,366–क भा0 दं0 वि0 में दिनांक 19.05.2026 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। सूचक रंजीत पंडित एवं पीड़िता नेहा कुमारी की उपस्थिति दी गई है।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक रंजीत पंडित के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदक के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार उसकी छोटी लड़की नेहा कुमारी, उम्र–16 वर्ष जो इंटर की छात्रा है, दिनांक 10.05.2024 को समय करीब 4.00 बजे शाम में बगल के दुकान से मिक्चर लेने गई। वह उसके आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसका पड़ोसी उसके घर आकर बोला कि नेहा ऑटो में बैठ कर मदुदाबाद के तरफ गई है। वह पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ मोटर साईकिल से पीछा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब वह घर आया तो जानकारी मिली कि उसकी लड़की पूर्व से नीतीश कुमार के सम्पर्क में थी और घर के मोबाईल नं0–7255947938 से नीतीश कुमार के मोबाईल नं0–6299675270 पर प्रायः छुपकर बात किया करती थी। नीतीश कुमार विवाहित है एवं उसे एक लड़का भी है, लेकिन पत्नी से संबंध अच्छा नहीं रहने के कारण उसकी लड़की से सम्पर्क में आ गया। वह डी0 जे0 ऑपरेटर का काम करता है। वह उसकी नाबालिग लड़की को प्रलोभन देकर गलत नियत से आज लेकर भाग गया। उसके घर पर पता किया तो वह घर से गायब है। उसकी लड़की नेहा कुमारी अपने साथ घर का मोबाईल एवं 15000 रू0 लेकर गई है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं आवेदक दिनांक 19.05.2026 से कारा में है। आवेदक को उसके दुश्मनों के ईशारा पर इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस वाद में लगाया गया धारा आकर्षित नहीं होता है। इस वाद में उभय पक्षों के बीच संधि हो गई है एवं संधि–पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक के पलाायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की संभावना नहीं है तथा वह बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि का जमानत देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में उभय पक्षों के बीच संधि हो गई है एवं संधि पत्र जमानत आवेदन–पत्र के साथ उपलब्ध है। सूचक रंजीत पंडित एवं पीड़िता नेहा कुमारी न्यायालय में उपस्थित है एवं इस वाद में उभय पक्षों के बीच संधि होने की बात स्वीकार करते हैं। जमानत आवेदन–पत्र की कंडिका 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं आवेदक दिनांक 19.05.2026 से कारा में है।

Web Copy

**जमानत आवेदन पत्र सं0–710 / 2026**

लगातार

05.06.2026 उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति एवं उसकी कारा अवधि पर विचारोपरांत आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त नीतीश कुमार को मो0 10,000 रू0 के समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले के अनुसंघान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

लेखापित

ह0 / –

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy